मु० नं० 15/17 तारीख पेशी 21.2.17

उनवान – आशीष बनाम राजस्थान जरिये जिला कलक्टर करौली

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा Adv. ने दावा बाबत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। पत्रावली व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.3.17 को पेश हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली

16.3.17
वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार हाजिर उप०। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। P.O. मीटिंग में करौली पधारे हैं। आइन्दा दि० 5.4.17 को पेश हो। [signature]

5.4.17 बवजह उपखण्ड अधिकारी महोदय मुख्यालय पर मौजूद नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 9.5.17 को पेश हो। [signature]

9.5.17 तलबी उप० अनुपस्थित। P.O. साहब मीटिंग में करौली पधारे हैं। जिस कारण आइन्दा दिनांक 18.5.17 को पेश हो। [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी[illegible]

दिनांक	कार्य अनुक्रम
18.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में पेश हुई। कैम्प में उपस्थित होने के नोटिस वादीगण द्वारा लेने से इन्कारी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए हैं। वादीगण को सूचना मानी जाती है। बावजूद सूचना वादीगण एवं वादी वकील उपस्थित नहीं हैं। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम [illegible]पुर की जमाबंदी संवत 2039-2042 के खाता संख्या 32 के अनुसार ग्राम [illegible]पुर की भूमि खसरा नम्बर । रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड़ [illegible] लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी एवं चकबंदी कार्यवाही के दौरान साबिक खसरा नम्बर । रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर । रकबा 5.02 है० बने हैं। खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को राज्य सरकार के हक में समर्पण करने पर नामा. संख्या 20 दिनांक 30.8.99 से खातेदारी के बजाय सिवायचक तथा नामा. संख्या 22 दिनांक 2.12.99 से सिवायचक के स्थान पर

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

चारागाह दर्ज किया गया है। इस प्रकार खातेदार के समर्पण करने पर यह भूमि चारागाह दर्ज हुई है व्हारि इस आराजीयात पर वादीगण का कब्जा है। खातेदार द्वारा स्वेच्छा से भूमि का समर्पण करने पर सिवायचक / चारागाह दर्ज होने के कारण तथा वादीगण का कब्जा नहीं होने के कारण वादीगण का दावा खारिज किया जावे। समर्पण में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिनांक 30.8.99 की छाया प्रति, नामा० सैल्या 20 दिनांक 30.8.99 एवं सिवायचक से चारागाह दर्ज करने के आदेश की दिनांक 6.11.99 की छायाप्रति एवं नामा० सैल्या 22 दिनांक 2.12.99 की छायाप्रति संलग्न की है।

तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों के आधार पर अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं है तथा वादीगण बावजूद सूचना उपस्थित भी नहीं हुए है। इसलिए तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का दावा चलने के

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
	योग्य होना नहीं है। इसलिए वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा बाबत इस्तकरार हक दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। फर्द डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 18-5-17 को कैम्प आंगन मंडल में लिखाया जाकर सुनाया गया।
	जगदीश आर्य उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत उपजिलाधिकारी मुकाम टेडाबीग़ [illegible]
इजलास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आई.ए.एस.

उनवान

प्रदीप (2) अमित मोहित व टेकचन्द राज पुत्रगण पिता रामकिशोर निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील टेडाबीग़ कन्नौज (वादी)	बनाम	(1) [illegible] ग्राम [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] (2) [illegible] तहसील टेडाबीग़ जिला [illegible] (प्रतिवादी)

बाबत कोषदार खातेदारी स्थाई मुकदमा नं० 151 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते [illegible] जाब कार्य नेशनाज [illegible] हमारे [illegible] व हाजिरी सुरेशचन्द्र शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई व [illegible]

मुकदमा पेश होकर [illegible] दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी खारिज किया जाता है।

मुद्दई [illegible] बाबत [illegible] इस मुकदमे के खर्च [illegible] सूदी सालाना आज की तारीख से [illegible] अदायगी तक [illegible] अदा करे।

आज तारीख 18 माह 05 सन् 2017 को हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

मुहर

हस्ता० [illegible]
औहदा [illegible]

	रू०	पैसे	मुफस्सल	रुपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			खर्च [illegible]		
[illegible]			फीस [illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner